कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड बाराबंकी

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या–03/2013–14

महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रमुख अभियन्ता (यॉ0), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीनस्थ नलकूप (पूर्व) परिक्षेत्र के नलकूप मण्डल, फैजाबाद के नियंत्रणाधीन नलकूप खण्ड, बाराबंकी से संबंधित आइटमवार उपलब्ध निष्प्रयोज्य सामग्री, यथा जला हुआ सुपर इनामिल्ड तॉबे का तार, पी0वी0सी0 कोटेड जला तॉबे का तार, स्टील स्क्रैप, गन मेटल स्क्रैप, कास्ट आयरन स्क्रैप आदि की सार्वजनिक नीलामी तालिका में अंकित तिथि को नलकूप खण्ड, बाराबंकी के कार्यालय प्रांगण में की जायेगी।

बोलीदाताओं को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। सार्वजनिक नीलामी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1, नियम 260 ए के परिशिष्ट 19 डी में उल्लिखित नियम व शर्तों के अधीन होगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नीलामी की नियत तिथि **दिनांक 10–10–2013 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक** प्रत्येक लाट के लिए निर्धारित टोकन मनी की धनराशि नकद जमा करनी होगी। जिसकी जॉच उपरान्त बोलीदाताओं की सूची निर्गत की जायेगी तथा उसी दिन **अपराह्न 14.00 बजे** से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। नियमानुसार नियत तिथि को सूची में अंकित व्यक्ति/फर्म को ही बोली बोलनें का अधिकार प्राप्त होगा। नीलामी में कोई भी एक बोली अथवा समस्त बोली बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करनें का अधिकार नीलामीकर्ता अध्यक्ष के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा एवं नीलामी हेतु अंकित सामग्री की मात्रा को घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

क0 सं0	खण्ड का नाम	जला हुआ सुपर इनामिल्ड तांबे का तार (लाट सं0–01)	जला हुआ पी0वी0सी0 कोडेट तॉबे का तार (लाट सं0–02)	कास्ट आयरन स्क्रैप (लाट सं0–03)	नीलामी की प्रस्तावित तिथि
1	2	3	4	5	6
1	नलकूप खण्ड बाराबंकी	0.104 मी0 टन	4.255 मी0 टन	0.04 मी0 टन	10–10–2013
टोकन मनी की धनराशि		₹2,000.00	₹10,000.00	₹1,000.00	

नीमामी की संक्षिप्त शर्त निम्नवत् हैः–

1. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता का पंजीकरण व्यापार कर में होना अनिवार्य होगा तथा टिन नम्बर अंकित पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
2. नीलामी में भाग लेनें से पूर्व प्रत्येक लाट की नीलामी के लिए तालिका में अंकित टोकन मनी (धनराशि) संयोजक सहायक अभियन्ता, प्रथम उपखण्ड, नलकूप खण्ड, बाराबंकी के पास जमा करके टोकन प्राप्त करना होगा। केवल टोकन धारक ही निलामी में भाग ले सकेगें। यह धनराशि निलामी समाप्त होनें पर समायोजित/वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी का विवरण वेबसाइट http://upgov.up.nic.in तथा सिंचाई विभाग की www.idup.gov.in एवं http://barabanki.nic.in/ से प्राप्त किया जा सकता है।
4. सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस/कार्य अवधि में संबंधित खण्डीय कार्यालय के स्टोर में किया जा सकता है।
5. सामानों की उपरोक्त मात्रायें अनुमानित है तथा यह घट बढ़ सकती हैं।
6. सामानों की नीलामी जहॉ है जैसी है, के आधार पर की जायेगी, तथा उच्चतम बोली दाता द्वारा व्यापार कर अतिरिक्त देय होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता को खण्ड में उपलब्ध मात्रा के अनुरूप अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बाराबंकी के कार्यालय में नीलामी समाप्त होने के पश्चात् उसी दिन कुल मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि नकद/राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी जो **''अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बाराबंकी''** के पक्ष में **'बाराबंकी'** में देय होगा, अन्यथा टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. नीलामी की विस्तृत शर्तें नीलामी प्रारम्भ होनें से पूर्व नीलामी स्थल पर सूचित की जायेंगी।
9. नीलामी के उपरान्त उच्चतम् बोली दाता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होनें के उपरान्त सामग्री की शेष धनराशि, व्यापार कर एवं अन्य करों के साथ जमा करनें के उपरान्त ही भण्डार से सामग्री निर्गत की जायेगी। उक्त के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

3/9/2013
(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता